

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./43/2022-23/ ५०००२

दिनांक: १९ .10.2022

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु पोर्ट फ्लॉर हट-12 नग, सेलफोन डिटेक्टर/डिटेक्शन सैट-11 नग, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर-05 नग, इंटरकॉम सिस्टम-10 सैट, बॉडी बॉर्न कैमरा-50 नग मय एसेसिरीज (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work Station-01 नग) एवं नाईट विजन डिवाइस-11 नग क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 21.10.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि	21/10/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	21/10/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	10/11/2022 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	10/11/2022 को दोपहर 02.00 PM से
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर
6.	प्री-बिड मीटिंग दिनांक	31/10/2022 को दोपहर 03.00 PM से

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./43/2022-23/ ५०००३-०८

दिनांक: १९ .10.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
- उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों में और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 20 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
- प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./43/2022-23/५०००२

दिनांक: १९/१०/२०२२

राज्य की कारागृहों हेतु पोर्टा हट-12 नग, सेलफोन डिटेक्टर/डिटेक्शन सैट-11 नग, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर-05 नग, इंटरकॉम सिस्टम-10 सैट, बॉडी बॉर्न कैमरा-50 नग मय एसेसिरीज (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work Station-01 नग) एवं नाईट विजन डिवाइस-11 नग क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 21.10.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	पोर्टा हट	12 नग	192.00	2000/-	
2.	सेलफोन डिटेक्टर/डिटेक्शन सैट	11 नग	165.00	2000/-	
3.	ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर	05 नग	90.00	1000/-	
4.	इंटरकॉम सिस्टम	10 सैट	50.00	1000/-	
5.	बॉडी बॉर्न कैमरा-50 नग मय एसेसिरीज (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work Station-01 नग)	50 नग	46.00	500/-	60 दिवस
6.	नाईट विजन डिवाइस	11 नग	17.60	500/-	

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) ऑनलाइन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। बोली से संबंधित शुल्क का विस्तृत विवरण बोली की मुख्य शर्त संख्या 01 में दिया गया है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट <http://www.home.rajasthan.gov.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>) पर देखा जा सकता है।

अतिमहानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

बोली (Bid) की मुख्य शर्तें

1. शुल्क (fees)-

- (अ) प्रत्येक सामग्री की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस पृथक-पृथक ई-ग्रास चालान के द्वारा ऑनलाईन जमा की जायेगी।
- (ब) ई-बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर” के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा ऑनलाईन जमा की जायेगी।
- (स) बोली प्रोसेसिंग फीस (आर.आई.एस.एल.) निम्नानुसार रहेगी:-
1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है रूपये 500/-प्रति बोली
 2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है- रूपये 1000/-प्रति बोली
- निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्यूरिटी राशि) के ई-ग्रास चालान ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।
- (द) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि/बिड सिक्यूरिटी राशि शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ई-ग्रास पोर्टल पर चालान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के पक्ष में बनाया जाना है, शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	ई-ग्रास बजट मद्दत का विवरण
बोली प्रपत्र शुल्क	बोली में निर्धारित राशि अनुसार	0075-00-800-52-01
प्रोसेसिंग फीस	बोली में निर्धारित राशि अनुसार (एम.डी, आर.आई.एस.एल(MD RISL))	8658-00-102-16-01
बोली प्रतिभूति राशि	उपकरण/सामग्री की कुल अनुमानित कीमत का 2%	8443-00-103-00-00

2. पात्रता (eligibility)-

- (i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी

से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएंगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन कर उपलब्ध करवाना होगा।

(iii) निर्माता/निर्माता द्वारा घोषित प्राधिकृत डीलर के रूप में बोली प्रस्तुत करने पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

3. अनुभव (experience)-

- (अ) बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम/समकक्ष का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था में विगत पांच वर्षों में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत राशि आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र/भुगतान स्वीकृति आदेशों की प्रति निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- (ब) बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20 व 2020-21) का औसत वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेंड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, जिसकी प्रति ऑनलाइन स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20 व 2020-21) का औसत वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम पांच गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेंड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाइन स्कैन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. दस्तावेज (document)-

- (i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/ GSTR चालान की प्रमाणित प्रति अथवा GST बकाया नहीं का शापथ-पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

(v) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक-'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. वैधता (validity)-

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. प्री बिड-

बोली में निर्धारित तिथि व समय को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी। जिसमें संभावित आपूर्तिकर्ता बोली से संबंधित स्पष्टीकरण (यदि कोई हो तो) प्राप्त कर सकेंगे। प्री-बिड मीटिंग में बोली से संबंधित प्रश्न, समस्या, सुझाव आदि पर चर्चा की जायेगी। तदुपरांत किसी भी सुझाव व समस्या पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. बोली दस्तावेज में परिवर्तन-

बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि-पत्र जारी कर बोली दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व इसके लिए उपापन संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

8. सामान्य सूचना-

- यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
- यदि कोई बोलीदाता माल/सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने में असफल रहता है या आंशिक सप्लाई करता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन संस्था द्वारा

किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहत (Forefeite) किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

- (iii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट- अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)-अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।
 - (iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।
 - (v) उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।
 - (vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्त/प्रावधान लागू होंगे।
 - (vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।
 - (viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले उपकरण/ सामग्री की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त भी की जा सकती है।
9. सामग्री/उपकरण निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर उस सामग्री/उपकरण को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं क्रय के लिए निविदित राशि एवं क्रय की गई सामग्री की अंतर राशि संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।
10. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ इंस्टॉलेशन तिथि से होगी।
11. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति बोली में निर्धारित अवधि में महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करनी होगी। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों का विभागीय निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की

- रिपोर्ट के आधार पर बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार बिलों की राशि का भुगतान संबंधित फर्म को किया जायेगा।
12. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों को फर्म द्वारा राज्य की संबंधित कारागृह पर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इन्स्टॉलेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
 13. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा सामग्री/उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपकरण हेतु आवश्यक होने पर विभाग द्वारा निर्धारित कार्मिकों को निर्देशित स्थान पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating procedure)/तकनीकी नियमावली (Technical Manual) तैयार कर उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रशिक्षण व नियमावली के लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 14. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई सामग्री/उपकरणों में किसी भी प्रकार की तकनीकी/अन्य खराबी होने अथवा मशीन/उपकरण के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा दूरभाष/लिखित में शिकायत दर्ज कराने पर 05 दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुर्स्त करना होगा। फर्म का प्रतिनिधि/इंजीनियर 05 दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना/पैनलटी 200 रूपये/निर्धारित राशि प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा।
 15. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी होने पर पार्ट्स/पुर्जे अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
 16. विभागीय उपापन समिति द्वारा आवश्यकता होने पर ई-बोली में अंकित सामग्री का ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीके से डेमो/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्च संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। Demonstration/Presentation में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।
 17. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नहीं किया जावें।
 18. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्ठों/अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही ई-बोली प्रस्तुत की जावें।
 19. प्रथमतः प्राप्त बोलियों की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तों तथा योग्यता मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
 20. फर्म द्वारा कारागृहों पर भेजे गये किसी भी कार्मिक/संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री लाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

21. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. आइटम/उपकरण की आपूर्ति क्रयादेश तिथि से 60 दिवस में करनी होगी।
23. निविदा में आवश्यक होने पर सामग्री का नमूना (सैंपल) लिया जा सकेगा।
24. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ-पत्र निविदा में प्रस्तुत करना होगा।
25. ई-बोली में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जायें। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारंभ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जायें।
26. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक-अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
27. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :-

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार), राजस्थान, जयपुर।

दूरभाष नं. 0141-2616448

ई-मेल purchasejhq@gmail.com



अतिमहानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
 (बोली प्रपत्र-क्वालीफाईग बिड) -

परिशिष्ट “अ”

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः

दिनांक-

- (I) के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम..... पूर्ण पता, दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई मेल
- (III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर ।
- (IV) सन्दर्भ :-बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-..... दिनांक
- (V) राशि का विवरण:-
 (1) बोली प्रपत्र शुल्क की ई-ग्रास चालान संख्या दिनांक राशि.....
 (2) प्रोसेसिंग फीस ई-ग्रास चालान संख्यादिनांक.....राशि..

 (3) बोली प्रतिभूति राशि ई-ग्रास चालान संख्या.....दिनांक.....राशि.....
 राशि.....
- (VI) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्यादिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट “स” तथा परिशिष्ट “इ” में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट “स” तथा परिशिष्ट “इ” के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तों का स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं।
- (VII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।
- (VIII) हम सम्पुष्टि(confirm)करते हैं कि “प्राईसबिड” में अंकित की गई दरें “बोली की वैधता” प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक तक मान्य होंगी।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि “प्राईसबिड” में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट “इ” में अंकित आईटम/उपकरण के लिये हैं ।
- (X) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या.....है।
- (XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना सें निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारी फर्म किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड तथा दिवालिया घोषित नहीं हैं।

(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं/लागू नहीं	जारी दिनांक/वैधता दिनांक	पेज संख्या
1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।			
2.	बोलीदाता फर्म का नाम पता दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता			
3.	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र			
4.	परिशिष्ट 'द' (स्टेट्स चिन्हित कराते हुए)			
5.	अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)			
6.	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति			
7.	जीएसटी रिटर्न/जीएसटी चालान की स्कैन प्रति अथवा ना-बकाया का शपथ-पत्र			
8.	बोली दाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र			
9.	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार			
10.	वार्षिक टर्न ओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज			
11.	निर्माता/प्राधीकृत डीलर संबंधित दस्तावेज			

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

नोट:- उक्त सूची में जिन वांछित दस्तावेज का विवरण फर्म पर लागु नहीं है उस पर लागू नहीं का उल्लेख किया जाए।

1. उपरोक्त अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख Yes or No, दस्तावेज जारी होने की तिथि, (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।
2. बोली भरने की प्रक्रिया :-

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

(बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर



महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

1. _____ क्रय करने के लिए ई-बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
पूर्ण पता :.....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :.....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ:- सामान्य/के.भं./43/2022-23/..... दिनांक: / /2022
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-
 (क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
 (ख) मात्रा :.....
 (ग) दरें-एफ.ओ.आर.निमानुसार अंकित करें:-
 (i) दरें - (प्रति नग):-

क्र.सं.	वस्तु/आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति नग	जीएसटी राशि रूपये	कुल याग
1.	पोर्टा हट	12 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
2.	सेलफोन डिटेक्टर /डिटेक्शन सैट	11 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
3.	ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर	05 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
4.	इंटरकॉम सिस्टम	10 सैट	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
5.	बॉडी बॉर्न कैमरा-50 नग मय एसेसिरीज (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work station-01 नग)	50 नग	50 नग मय एसेसरिज की कुल दर	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
6.	नाईट विजन डिवाइस	11 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		

परिवहन, पैकिंग चार्ज व इन्स्टॉलेशन चार्ज दरों में शामिल माना जायेगा।

उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोट:(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:- टैक्स पेड, कर सहित, एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
परिशिष्ट-“स”

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :-
 (अ) (i) सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- ‘द’ में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण:-
 (i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।
 (ii) उक्त उद्यमियों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।
 (iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीयों (बिड) के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन ॥ अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार

मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन (procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
 - (v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं.10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM II) एवं बिन्दु सं.11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
 - (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।
 - (vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/-रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के

अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में महानिदेशक कारागार, राजस्थान को लिखित इकारानामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return) व चालान की प्रति :-

- (i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति अथवा ना-बकाया होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- (iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।
5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता को बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7. दर :-

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शछ्दि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-
- (क) इकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात् इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया

M

- जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दरें परिशिष्ट “इ” के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुरुदगी परिशिष्ट ‘इ’ में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।
- (v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।
- (vii) सामग्री की आपूर्ति प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, सामग्री को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल को सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. दरों की तुलना:-

- (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नहीं करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में जीएसटी को शामिल करने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।
- (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।
- (iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

9. बातचीत (Negotiation):-

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोलीदाता या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
 - (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
 - (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में ज्यादा अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैद्यता प्राइस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर-प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारबान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा।

13. स्पेसिफिकेशन:-

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड/सैपल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलों में जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

(iii) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14 निरीक्षण एवं परीक्षणः-सामान्यतः: विभागीय निरीक्षण समिति के माध्यम से सामग्री का निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण में अनुरूप पायी गई सामग्री को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्न शर्तें भी लागू रहेंगी:-

- (i) (A) महानिदेशक कारागार या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगे तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे।
 (B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iv) **निरीक्षण प्रभार**:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
- (v) **रद्द करना (Rejection)**:- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा।
- (vi) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता

को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

15. माल की सप्लाई :-

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की स्थिति में उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दग्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाएगा। परिवहन के लिए उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

17. सुपुर्दग्गी अवधि(Delivery Period)

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट-'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- (iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री

सप्लाई किए जाने के बाद, इंस्टॉलेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेंगे।

18. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यदि मूल आदेश खुली ग्राहकों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मर्दों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।
- (iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

19. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :- सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

20. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

- (i) बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।

- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/उपकर्मों/कंपनी/बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकर्मों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपकर्म और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
- (iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो; के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हैं, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शापथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (iv) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
 - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
 - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
 (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

21. करार:-

- (अ) बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।
 करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।
 (ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

22. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security):-

- (i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अध्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपकरणों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपकरणों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
 (ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उधोग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हों तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
 (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूपण उद्योगों जिनके मामले औद्यौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर होगी।
 (iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु की लागत मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
 (v) इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 (vi) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:-
 (क) "ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा"
 (ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,
 (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्यन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के

समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के सम्पहरण की दशा में नियत जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ सम्पहरत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

1. अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. सुरक्षा राशि व बोली प्रतिभूति की दर को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2020 के द्वारा पूर्व की दरों को संशोधित किया गया है। संशोधित दरें, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम (संशोधित) 2020 से 31.12.2021 तक लागू रहेगी।

(vii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

(viii) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Forfeiture of Performance Security):- कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में सम्पहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (ix) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
- (x) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँगे:-
- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रामाणित प्रति।
 - (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।
 - (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- (xi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

23.

बीमा:-

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएँगे। आपूर्तिकर्ता चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24.

भुगतान:-

- (i) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे।
- (iii) विवादास्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से

प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

25.

परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

- (क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%,
- (ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए -5%
- (ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु -7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए,
- (घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए -10%,
- (ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।
- (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो केताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट: प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

26. **वसूलियाँ:-** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के मास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एकट या तत्समय प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

27. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वंयं की व्यवस्था करनी होगी।

28. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लिखित नहीं कर दिया गया है।

29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को विरुद्धित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होंगी।
33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
34. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धी बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

अतिमहानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पूष्ट पर हस्ताक्षर करै दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली को समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

परिशिष्ट "द"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु)/ थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ' तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का सम्पहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or



- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

A handwritten signature consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.



(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a)Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c)The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e)Applicability of the provisions of confidentiality.

(5)Form of Appeal

- (a)An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of respondents in the appeal.
- (b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6)Fee for filing appeal


- (a)Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b)The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a)The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i)hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.



- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M".

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii) Official address, if any :
 - (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal

.....
.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....
.....

Place

Date

Appellants Signature



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder



परिशिष्ट 'इ'

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Porta Hut- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य 'शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Porta Hut के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय/जिला कारागृह, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाडा, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, झालावाड, सिरोही।
- (ख) संख्या : 12
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Porta Hut निम्न प्रकार होंगे:-

Porta Hut:-

Description	The prefabricated shelter shall be suitable for mounting on readymade concrete floor. The components shall be fabricated at factory for easy assembly at site.
Size	Porta Hut size – 5.85m x 15.21m x 3m
MS Structure	The MS Super Structure like column, truss/portal truss, purling, tie member etc. shall be made out with suitable size rolled/tube/folded sections. The structure shall be painted with one coat of red oxide as primer and two coats of good quality paint. Sufficient No of Puling and Runner shall be provide on roof Truss Portal / Rafter to bear the load of the Roof. Structure to be grouted to the plinth using self expanding foundation anchor fasteners of size M8 x 125mm at all column and intermittently at the bottom rails.
PUF Insulated wall	The insulated walls shall be made of Sandwich Panels. The Sandwich panels shall be made out of 0.4mm thick pre-coated steel sheet on both side of PUF (Polyurethane foam) of Density 40kg/m ³ total thickness of panel shall be 40mm. The PU Foam has to be cast using High Pressure Injection system under high pressure bed for uniform foaming and density. The panels are joint together by tongue and groove method.
Door	The insulated Roof cladding be made of Sandwich type panels. The Sandwich panels shall be made out with 0.4mm thick pre-coated profile steel sheet at outer side and 0.4mm thick pre-coated plain steel sheet at inner side of PUF (Polyurethane foam) total thickness of panel shall be 30mm. MS Wire Mesh Door in MS Frame to be provided for air circulation.



MS window &Ventilator	The frame for open able type window shall be made from pressed steel using 1.0mm thick. Shutter shall be made out of steel hollow box profile of 1.25mm thick. Window shall have Mosquito mesh on outside welded using MS Flat Section. MS Bar of thickness 7/10mm mm (minimum 4 Nos. Horizontal and 4 Nos. Vertical) shall be welded to the frame to act as Grill and prevent trespassing. No Shutters will be provided. No of Window: 4 Ventilators: 3 Nos. Ventilator to be provided in rear wall for cross ventilation. Ventilator shall be made out of MS sheet 1mm thick with cutout for air circulation. The ventilator shall be cut in the wall and fixed. Size of Ventilator – 300mm x 300mm.
Certification	Test report for thickness of laminate and density of wall and roof insulating material to be provided by Govt. Engineering College. In addition to the test report, the manufacturing unit should have the following certifications: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016. The bidder shall have manufacturing unit in the state of Rajasthan.
Plinth & Flooring	Foundation & Plinth work to be done with civil construction material which is locally available. The main load bearing wall foundation shall be maximum 600mm deep.. The Plinth height will be maximum 300mm from ground level. Floor finish will be Cement Floor cast at site with smooth floor plaster. Floor in toilet to be ceramic tile.
Electric Fitting	Following Electric Points to be provided (Only Wiring and Switches) Ceiling Fan : 5 Nos. Tube lights : 6 Nos. 5 Amp Plug : 4 Nos. Bulb Point. : 1 Nos. in toilet Exhaust Fan : 1 Nos. with louvers.
Roof	Roof shall be double slant hut type roof sloping both ways along the length. Top Sheet to be color coated Trapezoidal Profile Sheet of thickness 0.4mm with a crest of 30mm and an overlap of 70mm on the adjacent panel Minimum thickness of roof to be 30mm rising to 60mm at the crest. Bottom sheet to be 0.4mm thick PPGI same as the walls. Roof Insulation to be Poly Urethane Foam of density 40kg/m ³ , cast in situ under high pressure system and using high pressure injection system.



Toilet	There shall be a toilet as per layout of approximate size 1.2m x 1.2m. The toilet shall have Indian style ceramic WC pan with Tap. Necessary plumbing shall be done using CPVC piping and accessories. Drainage / Outlet of the Toilet shall be connected to the existing drainage up to a length of 6m else put in a pit dug in the ground. Water connection to be provided by the user authority.
Plinth Protection	After installation, plinth protection to be made using Cement concrete mix plaster on all four sides to prevent rain water ingress and also to embed the foundation anchor fasteners.

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नोट:- उक्त एफ.ओ.आर. में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन भी किये जा सकते हैं, जिसके लिए फर्म को अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षण:-

- परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Cell Phone Detector/Detection- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Cell Phone Detector/Detection के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) संख्या : 11 नग
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Cell Phone Detector/Detection

S.No	Specification	Description
1	Technology	Passive Technology, No Radiation
2	Dimension	187 cm ball pole with base ± 5%
		Detection area envelop > 1.4m (width)
		height > 2.1m - also see search zone
		Base footprint minimum 35cm x 35cm
3	Number of Zones	Multi Zone detection with minimum 5 independent zones
4	Sensitivity	Independent sensitivity adjustment for each zone
5	Search Zone	Detection Range 1 – meter or Better
		Full Body Scanning : Full 360 degrees radius
		Around the pole from the floor level to 187 cm & above
6	Detection	Cell Phone/Mobile Phone contraband concealed and sim or similar item
		On the person or in body cavities (including keypad cell phones) with or without batteries
7	Alarm	Visual LED bar graph with simultaneous audio alarm , user selectable 8 tones with 10 level volume control False Alarm Rate- less than 3%
8	Display	Messages during use, programming and self-diagnosis alerts LCD display
9	Mounting	Detection Pole could be mounted on the base for free standing installation
		Detection Pole in single unit
10	Interference suppression	It should be a passive device
		Does not interfere with each other when placed at a distance of one feet from each other and adjusts automatically
11	Power Supply	220VAC 50Hz , Mains +/- 10%
		Rechargeable maintenance free Li-Ion Internal battery for minimum 20 hrs of continuous operation
		Low battery Indicator
		Equipment should also work in case of without battery back-up through power supply
12	Calibration	Inbuilt Auto Calibration capacity
13	Safety	Should conform to National/International standards of electrical safety (NABL/ILAC accredited lab report from the country of origin. Safe for wearers of heart pacemakers, pregnant women and magnetic recording materials

14	Carry Case	Hard Carry Case for secure transportation and storage of detector
15	Operating Ambience	Temperature - From -5 Degree C to 60 Degree C Humidity - upto 95% non condensation (NABL/ILAC accredited lab report from the country of origin)
16	Controller Specifications	IP based controller, RJ 45 connector Protocols Supported : IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, DHCP, NTP. Also supports secure WebAPI interface, with SSL/TLS authentication, to enable 3rd party device monitoring and config management
17	Control Panel	Bluetooth headset- Warning indication for target over the threshold with fixed or proportional pitch, Easily accessible, modular design with standard plugs and connectors
18	Construction & Weight	Maximum weight 8-10 kg , Lightweight and rigid made of aluminum and injection molded plastic parts for high durability
19	Battery	Rechargeable maintenance free Li-Ion Internal battery for minimum 20 hrs of continuous operation
20.	CERTIFICATIONS & Compliance	1. Non-emitting device: safe for use for pace-makers and other medical implants 2. Compliant and certified to the applicable electromagnetic Standards on Human Exposure and pacemaker safety 3. Compliant with and certified to the applicable International Standards for electrical safety and EMC

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षण:-

- परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।



अति. महानन्देशक पुलस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Organic Waste Converter - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Organic Waste Converter के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर।
- (ख) संख्या : 05 नग
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Organic Waste Converter निम्न प्रकार होंगे:-

Fully Automatic Organic Waste Converter System(OWC)

Type	Automatic
Modes	Power Mode and Power Saving Mode
Processing time	24 hours to 48 hours
Processing Capacity	200 kgs or more Organic Waste per day
Operation	Fully Automatic with 4 inch Touch Screen HMI of Delta/Selec make
Control Panel	High quality/make and should be data storage enabled
Shredder	Inbuilt Shredder with 30 cutters of thickness 8 mm or more and 80 mm diameter or more. Material of Cutters should be strong/with rust proof/SS Alloy hardened. Forward and Reverse Feature should be there in Shredder. Gearbox and Motor of 1.50 HP or more of top quality /make. High Flow Side Rail. Shredder should be suitable for Wet service. Shredder should be ISI marked.
Waste Input	Dual Inlet through Shredder as well as Direct Inlet
Heaters	Insulated Jacket Heaters to cover the conversion tank. Cerawool Insulation Jacket and Heat Saving colour coating. Heater Thickness: 40 mm. 6 nos.
Waste Mixing chamber & Composting Tank for Conversion	Rust Free Round Bottom Tank of 2 mm or more thickness
Temperature Sensors	Triple Zone temperature sensors to measure the waste temperature and tank temperature.
Moisture Controller	Moisture Sensor to automatically enable Power Saving Mode upon waste reaching appropriate moisture level and ensuring no burning of waste. Live Moisture percentage displayed on HMI
Agitator	Main Agitator to Rotate in Forward and Reverse at 2 RPM. Gearbox and Motor of Bonvario/Bonfiglioli/Motovario/Classic Plus/Hindustan/ make. Automatic Jam detection to ensure that there is no damage to Agitator shaft or Mixing paddles. In case of Jam, machine alarm should trigger.
outlet	Main outlet of SS 304 material. Agitator should automatically stop on

	opening the outlet during Power mode. Agitator should automatically rotate in Reverse on opening of outlet in unloading mode to push out ready soil supplement.
Blower	0.50 HP or more Blower of for pushing out steam and aeration of the waste inside
Outer Shell	Rust Free Fully Openable with locks and handles for easy maintenance access
Structures	All structures and upper frame should be Rust Free. Base trolley of Color Coated MS with wheels for movement. Loading hooks for crane.
Safety Features	Auto shut off if Secondary inlet or Outlet is opened in power mode, Alarm in case of coupling de linking, Emergency switch.
Manure Removal	Every 24 hours or above
Technology	Micro Organism aerobic technology or equivalent
	Machine should be compost all type of organic food
	Machine should be pathogen free and safe for human handling and should not give any foul smell, nor rats/Insects/flies etc
Volume Reduction	80-90% or more
Bacteria	Thermophilic bacterial culture to be supplied with the machine. Bio-culture COA to be submitted with the bid.
Manufacturer Certifications	ISO 9001:2015 Quality Management System (IAF Certified Board), ISO 14001:2015 Environmental Management System (IAF Certified Board), ISO 45001:2018 Occupation Health and Safety Management System (IAF Certified Board), ISO 50001:2018 Energy Management System (IAF Certified Board), CE Certification

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नोट:-उक्त एफ.ओ.आर. में आवश्यकतानुसार अंशिक संशोधन भी किये जा सकते हैं, जिसके लिए फर्म को अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षण:-

- परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैं/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

परिशिष्ट 'इ'

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Intercom System-क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशनस्

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Intercom System के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशनस् का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।

(ख) संख्या : 10 सैट

(ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन : Intercom System के स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार होंगे:-

Specification Of Digital ISDN Hybrid IP Based EPBAX (4/4/20)

Sr. No.	Details of Work	Qty	Unit
1	TELEPHONE SYSTEM		
	Supply, Installation, Testing and Commissioning of IP-EPABX with latest converged Technologies with hardened Platform and latest ITU-T (CCITT) standards,		
	The offered IP-EPABX should support the flexible connection of TDM - (Analog, Digital) as well IP - (H.323 or SIP) Desk Phone, Mobile WLAN and Soft Phones with in one system		
	The Offered IP Telephone Server shall be SIP Ready from day one & the system/remote gateways should support IPV6 as well as OEM should be marker of TEC (Govt. of India).		
	The IP PBX shall be TEC certified & QSIG Compliant.		
1.1	Complete as per specification with basic software as well as standard Feature as desired by EIC, The required configuration is as under :-	1	No.
	Analog Extensions: 36 expandable 65 Lines or more with CLIP Facility on both DTMF as well as FSK		
	Digital: 8 No's expandable 48 No's or more.		
	Integrated IP Gateway for IP Extensions & ITSP's along with 8 DSP Resources built in (TDM to IP & Vice versa)		
	Analog Trunk Lines : 8 Lines expandable 16 Lines with CLIP Facility on both DTMF as well as FSK		
	The offered system should have the Basic System Software along with Standard PBX Features		
	Inbuilt Music on Hold,		
	08 or more Party Conference		

	RJ 45 LAN Port for system administration via TCP/IP & for CTI & CSTA protocol. Connectivity to PA system CLIP facility for all offered extension & trunks Night service/ Day service Modem for Remote Maintenance, Phone Book with 1000 Numbers Boss/Secretary feature Call barring (scheduled/Manual based) Busy call back, Intrude in emergency call, Call pickup (Group & Individual), Internal/External call ring difference, Transferring a call - Internal/External, Call forwarding/ Divert- no answer, No reply etc		
2	Phones (Digital)		
2.1	Digital Phone - Type 1 (For Each Location / System)		
2.1a	Supply, installation, testing and commissioning of Digital Phones with display and having at least 14 or better freely programmable keys with LEDs & support visual indicator for Extensions with the following features i.e. Digital Phone should have hands free operation, should have an electronic volume control, pitch control and display control, Call toggling, Call Transfer- Blind/Supervised, Conference with up to 8 Party, Key labeling with paper strip, Park/Hold, Dial/Redial etc along with 1-2 both side RJ11 Wire complete. The offered Digital Phone should be complete in all respect as per tender specification.	1	No's
2.2	Digital Phone - Type 2 (For Each Location / System)		
2.2a	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Phone with display and having at least 06 freely programmable keys with LEDs & support visual indicator for Extensions with the following features i.e. Digital Phone should have hands free operation, should have an electronic volume control, pitch control and display control, Call toggling, Call Transfer- Blind/Supervised, Conference with up to 8 Party, Key labeling with paper strip, Park/Hold, Dial/Redial etc along with 1-2 both side RJ11 Wire complete. The offered Digital Phone should be complete in all respect as per tender specification.	1	No's



3	Analog Phone with CLIP - (For Each Location / System)		
3.1	Supply, installation, testing and commissioning of analog phone with following bear minimum specifications :- Caller ID system with new call and repeat call display, FSK/DTMF Compatible, Two way speaker phone with optical signaling via LED, Incoming call audio & visual indication, 116 incoming calls list, 16 outgoing calls list, 25 numbers phone book, Date, time and day display, 12 direct memory keys, Checking, dial back and deleting for incoming/outgoing/phonebook calls, Local area code setting up to 6 digits, Hotline, Display dialing, Speaker and handset volume adjustable (3 steps), LCD contrast adjustable, Pre-dial and amend function, Hearing Aid Compatible.	20	No's
4	MDF, IDF Junction Boxes (For Each Location / System)		
4.1	Supply, installation, testing and commissioning of MDF- 100 X 100 Pairs with Original Crone module with IPM and Back Mount Frame and have Lock -n- key, (Main Distribution Frame), complete in all respect as per specification and desired by EIC.	1	No's
4.2	Supply, installation, testing and commissioning of MDF- 20 Pairs with Original Crone module with IPM and Back Mount Frame and have Lock -n-key, (Main Distribution Frame), complete in all respect as per specification and as desired.	5	No's
5	Cables (For Each Location / System)		
5.1	Supply, installation, Testing and commissioning of 2 Pair of 0.5 sq.mm FR PVC insulated copper conductor, unarmored telephone cable in the existing surface/ recessed steel/ PVC conduit, complete in all respect as per specification and desired by EIC. (Cables are for all systems considered in RFP and may be used in varying lengths at various locations).	800	Mtrs
5.2	Supply, installation, Testing and commissioning of 5 Pair of 0.5 sq.mm FR PVC insulated copper conductor, unarmored telephone cable in the existing surface/ recessed steel/ PVC conduit, complete in all respect as per specification and desired by EIC. (Cables are for all systems considered in RFP and may be used in varying lengths at various locations).	80	Mtrs




5.3	Supply, installation, Testing and commissioning of 10 Pair of 0.5 sq.mm FR PVC insulated copper conductor, unarmored telephone cable in the existing surface/ recessed steel/ PVC conduit, complete in all respect as per specification and desired by EIC. (Cables are for all systems considered in RFP and may be used in varying lengths at various locations).	180	Mtrs
5.4	Supply, installation, Testing and commissioning of 5 Pair Jelly Filled unarmored 0.5 sq.mm, insulated copper conductor, telephone cable in the existing surface / recessed steel / PVC conduit, complete in all respect as per specification and desired by EIC. (Cables are for all systems considered in RFP and may be used in varying lengths at various locations).	200	Mtrs
5.5	Supply, installation, Testing and commissioning of 20 Pair Jelly Filled unarmored of 0.5 sq.mm, insulated copper conductor, telephone cable in the existing surface/ recessed steel/ PVC conduit, complete in all respect as per specification and desired by EIC. (Cables are for all systems considered in RFP and may be used in varying lengths at various locations).	100	Mtrs
5.6	CAT-6 Cable	50	Mtrs
6	Gang Box with Rj11 (IO) Modular type (For Each Location / System)	24	No's
7	Gang Box with RJ11- 4No;s, RJ45-1, (IO) Modular type (For Each Location / System)	1	No's
8	Gang BOX with RJ45 IO and 3 Meter Patch cord.	1	No's
9	Line Protection for Exchange side MDF	1	No's
10	Excavation / Trenching for laying the armored / unarmored cable. (For Each Location / System)	1	As per site requirement
11	UPS/FCBC With Battery Bank (For Each Location / System)		
11.1	Supply, installation, testing and commissioning of Suitable true UPS 2 KVA, 4 hour Battery Back- on full load along with Trolley/Stand for the above Offered Communications System, complete in all respect as per specification and desired by EIC. The system should have BIS certified batteries.	1	No's
12	GSM /FCT Gateway 2 Port (For Each Location / System)	1	No's
13	Earthing for IP PBX - (For Each Location / System)	1	No's
14	Installation, Commissioning, programming and maintenance - (For Each Location / System)	1	LS



Sr No.	Specifications	Compliance (Yes/No)
1	The Offered system should be IP-PBX, enabled with Unified Communication and Collaboration Application. IP-PBX should employ Stored Program Control (SPC) using Pulse Code Modulation (PCM) and Time Division Multiplexing (TDM) conforming to latest ITU-T (earlier CCITT) standards	
2	The offered system should have a 100% non-blocking Switching architecture.	
3	System should be highly reliable and should ensure uptime of 99.99%	
4	The offered system should be expandable up to 100 Users	
5	The offered system should have compatibility to be networked with other systems. It should be possible to have 30 systems or more with at least 1000 users in network mode.	
6	The offered system should run on Open standard Linux based operating system	
7	The Offered system should support Logical partitioning as per TRAI regulation	
8	The offered system should be based on the latest processor, high-level operating system, uniform system software, open interface and distributed processing.	
9	The Central Processing Unit (CPU) of IP-PBX should be like Blade Server with Intel Processor with min. 1.3 GHz Dual core with minimum 4GB RAM and 8GB Storage with Gigabit Ethernet port, PCI and SATA Compatible.	
10	The System should facilitate at least 6 party Ad-hoc Conferencing feature with 6 simultaneous groups of conferences possible with any combinations of extensions and trunks.	
11	The offered system should support universal port architecture to support seamless growth and ease of management. Signaling card and control card should not occupy any universal slot.	
12	There should be an LED indication on each card, which can help determine the real time status of the card	
13	The system should support the following interfaces: 1. Analogue Extension with CLIP functionality. 2. Digital Extension with CLIP functionality. 3. IP Extension with CLIP functionality. 4. Analogue Trunk with CLIP functionality. 5. ISDN PRI Trunk with CLIP functionality.	



14	The offered system should support the following trunk features: a) Caller ID on all Analogue Trunks b) Emergency transfer of P&T lines in case of power failure or non-operation of IP-PBX to selected extensions. c) DID facility d) CO to tie restriction e) Trunk camp on	
15	The offered system shall utilize single codec per line	
16	The offered system should support different class of service during the day and during the night	
17	The Offered system should support direct connection of any external music source (for music on hold).	
18	The offered system should be able to integrate with an announcement/ industrial paging system with built-in interface without any external additional Hardware.	
19	The offered system should have 100% feature transparency for all voice, data, video, voice mail automated attendant, call accounting, automated call distribution etc	
20	The offered system should be able to restart automatically without human intervention when the external ac power supply is resumed after complete power failure i.e. Even after the batteries are discharged.	
21	Numbering Scheme: The system should support Flexible Numbering Scheme wherein the extensions can be assigned different extension numbers, (ranging from minimum of two digits to a maximum of 4 digits). Also, it should be possible that all the facility codes, group directory numbers for subscriber hunt groups and trunk/page groups, abbreviated dialing codes etc can be changed as per actual requirements.	
22	From an organizational point of view, the capacity of the communication system can be split across a minimum of five subsystems. This makes it possible for several companies to share one communication system. Features in the tenant system include:- <ul style="list-style-type: none">• Intercept• PABX number• Caller list• Override• DISA• Speaker call• Call detail recording• Hotline destinations• Text messages, advisory messages• Internal calls• Internal Directory• Night service• Park slot• Traffic Restriction Groups• Voicemail• Toll restriction.	
23	The offered IP PBX should support VoIP gateway components as integral part of system for connecting IP extensions, SIP trucking & ITSP's registration without adding any module/Card.	
24	Offered IP PBX in skin VoIP Gateway should support proprietary as well as open standard protocols like SIP.	




25	The offer system should have at least 4-8 built in DSP resources without adding any additional modules.	
26	The offer system should support sufficient DSP resources without occupying any system slot.	
27	SIP trucking should be an inherent feature of IP-PBX and should be able to configure multiple ITSPs on a single interface card	
28	The offered system should have an inbuilt Voicemail solution with Minimum 06 Ports, minimum 100 voice mail boxes, storage capacity of voice mail should be minimum 2 hrs and expandable up to 32 hours, multiple auto attendant mailboxes, Voice Quality G.711, 4 different Greetings for: night/day, manual selection, Date and time stamp in all messages.	
29	The offered EPABX System should be equipped to provide an interactive voice response system (IVRS) without any additional hardware.	
30	<ul style="list-style-type: none"> • Extension to extension calling • Extension to extension call barring • Operator calling • Operator call barring • Direct Outward Dialing with at least 6 levels of dialing class • Call transfer by means of RECALL key in tone phones and direct extension number dialing in case of pulse phones • Incoming call routing should be possible to a predefined extensions hunting group or group ringing • The group ringing and hunting groups should be able to accommodate up to 32 extensions • It should be possible to define the hunting groups as either linear or cyclic hunting • Night mode activation via authorized extensions only • Different class of service for extensions in the night mode • Automatic call-back to busy and ringing extension • It should be possible, via a code, to ring up to 10 (minimum) extensions simultaneously. These extensions could be analog phones, Digital phones or a combination of both • All extensions should have a facility to register at least one reminder call from their extension • All extensions with outgoing dialing facility should be able to register at least 10 memory numbers from their extensions • Extensions with access to system abbreviated numbers should not have any toll restriction for accessing these numbers • All extensions should have a facility to lock their instruments so as to prevent outgoing calls. It should be possible to have a locking code of up to 5 digits. It should also be possible to view or change this locking code from a system administrator Digital phone • It should be possible to park up to 6 calls in the system • The extensions, both analog and Digital phones, should be able to initiate a 8 party conference with up to 4 external parties. 	



31	<ul style="list-style-type: none"> • System should also support up to 6 simultaneous 5 or more party conferences. • It should be possible to assign extensions to a call pickup group with up to 32 extensions in a group. Calls ringing outside a group should be answered by a different access code. • It should be possible to assign internal hotline between extensions. It should be possible to program these hotlines as immediate or as delayed hotlines • It should be possible to have different rings for internal, external and callback. It should be possible to change these rings, at site, as per requirement • It should be possible to change the dial tone, ringing tone, call waiting tone, conference tone, override tone, etc. as per requirement • It should be possible to access each trunk individually by means of individual trunk access codes. • It should be possible to group the trunk lines into at least 4 routes. It should be possible to assign more than one code to each route. • It should be possible to seize the lines of a route in either linear or cyclic mode • There should be a provision of route overflow for outgoing calls, such that if the lines of one route are busy the system should automatically select the next programmed route. • It should be possible to connect the extension ports of another PABX onto the trunk circuit of your IP PBX. • It should be possible to send 'FLASH TO TRUNK' from both analog extensions and Digital phones. • The system should support both open and closed numbering scheme. • System should support Silent Calling. 	
32	The offered system should provide compatibility to Unified communication features. The system shall be compatible to configure 20 UC users without any additional hardware or external server. The system should be further able to extend its UC features to all users.	
33	The offered system should support the following features without adding any external hardware - Presence includes status based announcements, Instant Messaging, Multi-user chat, Favorites includes Call Status, Visual Voicemail Control Voicemail to E-mail Service, Directory Access, Call scheduling.	
34	The Offered system should be able to support Enhanced UC features	
34.1	Presence-integrated Telephony: Should be able to change the presence status from Any device.	
34.2	Visible Voicemail (including Voice mail to Email)	
34.3	Notification of Voicemail or fax mail on user proffered device.	



34.4	Instant messaging	
34.5	Favorites List	
34.6	Drag and Drop conferencing	
34.7	Mobility: Call me service, One Number service, Set	
34.8	One Number Service (ONS)	
34.9	Directory Access (personal/Internal/External)	
34.10	Click to Dial	
34.11	Screen Pop ups	
34.12	Live call recording	
34.13	Personal Auto Attendant	
34.14	Call journal	
34.15	Social network integration via XMPP to exchange Presence and Chat information.	
34.16	Presence enabled Attendant console	
34.17	UI Integration with Web Collaboration (Desk sharing & Video)	
35	The Offered system should support Multi Media Contact Center solution without adding any external Server. it should be an integral part of offered system	
36	The offered system should be able to network with any other IP-PBX systems. This networking should happen either over SIP protocol or over PRI via QSIG protocol. No proprietary protocols or solutions will be accepted as part of this project.	
37	The offered system should support voice networking of multi-vender IP-PBX via QSIG software for feature transparency throughout the network. The system should work with any type of public exchange or similar network to which it will be connected without requiring any modification in networks	
38	The system should have an inbuilt LAN port. It should be possible to access the system from any node of the LAN for maintenance purpose.	
39	The offered system should support centralized system administration using SNMP (Simple Network Management Protocol)	
40	The equipment should have the flexibility to add/delete/modify service features and other functionalities without requiring extensive modification.	
41	The System should have BIS certified battery.	
42	For connectivity with GSM Network system 2 port GSM /FCT gateway is required.	
43	The system should have 2 years comprehensive warranty support.	
44	The system should have at least 4-hour battery backup.	
45	All telephone cables / wiring should be BIS certified.	
46	The bidder / OEM should be ISO 20000 and ISO 9000 Certified.	



47	The System Should offer native SIP trunking Capabilities to connect to Microsoft Teams via SBC for telephony interworking.	
48	The OEM should have the following certificates and bidder to submit the copies for the same	
49.1	ISO 9001:2015	
49.2	ISO 14001:2015	
49.3	UL Certificate UL 60950-1 (Information Technology Equipment -Safety-Part 1 : General Requirements) CSA C22.2 No. 60950-1(Information Technology Equipment -Safety-Part 1 : General Requirements) (As Per Government of India)	
49.4	RoHS (Reduction of Hazardous Substances)-Compliance Statement By OEM	
49.5	Reach (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)-Compliance Statement by OEM.	
49.6	Manufacturer certificate declaring the Country of Origin for all the Components. Signed & Stamped letter on OEM letterhead should be submitted.	
49.7	Declaration of Conformity (DoC) For EMC and Safety of the Model Proposed.	
49.8	Safety Declaration as per EN 62368-1, IEC 60950-1 and IEC 62368-1 standards to be submitted. (As Per Government of India)	
49.9	Electromagnetic Compatibility EMC Declaration as per standards EN55032 (EMC Emission), EN55024 (EMC Immunity Residential), CISPR 32 to be Submitted. (As Per Government of India)	

नमूना एवं परीक्षण:-

- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी को छते के पंखे का नमूना (सैपल) मय संबंधित दस्तावेज मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर पर जमा करवाना होगा। नमूना (सैपल) स्पेशिफिकेशन अनुरूप न होने व निम्न गुणवत्ता का होने पर बिड को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जा सकेगा।
- परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


 अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
 राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
 (बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

परिशिष्ट 'इ'**महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर**

Night Vision Device-क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स्

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट “स” में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Night Vision Device के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन्स् का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) संख्या : 11
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Night Vision Device निम्न प्रकार होंगे:-

S.No.	Parameters	Specification
1. General		
i.	Type/category	Binocular
ii.	Magnification	Minimum 4 X or Better
iii.	Field of view	9 degree or better
iv.	Inter pupil distance (IPD)	Adjustable
v.	Diopter adjustment range (Diopters)	-2 to 2 diopter
vi.	Weight (including battery) (grams)	Not more than 800 gram
2. Image Intensifier Tube Details		
i.	Image intensifier tube (II Tube)	Standard make
ii.	Image intensifier tube (II Tube) Model	Gen 2+ or higher
iii.	IITube-Resolution (linear pairs/mm)	Minimum 64
iv.	IITube-Signal to noise ration measured at 108 micro lux	Maximum 24
v.	II Tube grade	Mil grade.
vi.	Bright Source Protection (BSP)	In-built
vii.	Automatic Gain Control (AGC)	In-built
3. Detection		
i.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Human being	Minimum 400 meter
ii.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Light commercial vehicles.	Minimum 300 meter
4. Recognition		
i.	Recognition range in Star lit conditions without Human being	Minimum 300 meter
ii.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Light commercial vehicles.	Minimum 400 meter
5. Power/Batter		
i.	Power source/Battery	CR123A Or AA Or equivalent
ii.	Low battery indication	Yes

iii.	Warranty	3 Years
Environmental Test		
i.	Water Resistance when the Total equipment immersed in 30 minute water of 1 meter depth	30 minute
7.	Operating Temperature range (degrees)	0° C to 50° C
8.	Accessories : Water proof carrying case, Purgung Kit, one additional set of battery, cleaning kit, misc.	
9.	Misc.	Availability of spare parts for next 10 years from supply date
10	Test reports	Central Govt./NABL/ILAC accredited Lab covering all the parameter as per specifications

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः—

- परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैं/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में) .

परिशिष्ट 'इ'

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Night Vision Device-क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स्

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट “स” में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Night Vision Device के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन्स् का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) संख्या : 11
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Night Vision Device निम्न प्रकार होंगे:-

S.No.	Parameters	Specification
1.	General	
i.	Type/category	Binocular
ii.	Magnification	Minimum 4 X or Better
iii.	Field of view	9 degree or better
iv.	Inter pupil distance (IPD)	Adjustable
v.	Diopter adjustment range (Diopters)	-2 to 2 diopter
vi.	Weight (including battery) (grams)	Not more than 800 gram
2.	Image Intensifier Tube Details	
i.	Image intensifier tube (II Tube)	Standard make
ii.	Image intensifier tube (II Tube) Model	Gen 2+ or higher
iii.	IITube-Resolution (linear pairs/mm)	Minimum 64
iv.	IITube-Signal to noise ration measured at 108 micro lux	Maximum 24
v.	II Tube grade	Mil grade.
vi.	Bright Source Protection (BSP)	In-built
vii.	Automatic Gain Control (AGC)	In-built
3.	Detection	
i.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Human being	Minimum 400 meter
ii.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Light commercial vehicles.	Minimum 300 meter
4.	Recognition	
i.	Recognition range in Star lit conditions without Human being	Minimum 300 meter
ii.	Detection Range in Star lit conditions without moon for Light commercial vehicles.	Minimum 400 meter
5.	Power/Batter	
i.	Power source/Battery	CR123A Or AA Or equivalent
ii.	Low battery indication	Yes




iii.	Warranty	3 Years
Environmental Test		
i.	Water Resistance when the Total equipment immersed in 30 minute water of 1 meter depth	30 minute
7.	Operating Temperature range (degrees)	0° C to 50° C
8.	Accessories : Water proof carrying case, Purgung Kit, one additional set of battery, cleaning kit, misc.	
9.	Misc.	Availability of spare parts for next 10 years from supply date
10	Test reports	Central Govt./NABL/ILAC accredited Lab covering all the parameter as per specifications

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः—

2. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


अति.महानिदशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

परिशिष्ट 'इ'

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Body Worn Camera with Accessories-क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशनस्

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होंगे:-

Body Worn Camera with Accessories के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशनस् का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) संख्या : 50 नग मय ऐसेसरीज
- (ग) सप्लाई अवधि : 60 दिन
- (घ) स्पेसिफिकेशन्स : Specifications of Body Worn Camera with Accessories निम्न प्रकार होंगे:-

Body Worn Camera-50 नग with Accessories (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work Station-01 नग)

1. There should be a Centralized user authentication and management system.
2. Only authorized person will be able to turn on and Operate BWC, the entire process should be fully automatic without any manual intervention.
3. The system should automatically assign BWC to the user after biometric authentication or facial recognition.
4. Any user can be assigned any device and all recording and activities after issuing device shall be tagged for that user.
5. There should not be limitation that one user can only use one Device. Officer can get pick any device and once device is assigned to him/her the recording and data shall be tagged with his/her ID.
6. Array based docking station shall be supplied for both charging and seamless data uploading.
7. System should be capable of Integration with other 3rd party tools-solution as per need (VMS, Video analysis tools etc.)

➤ **Technical Specifications of Body Worn Camera.**

S.No.	Parameters	Specification
1	O.S.	<p>Latest Linux with future upgradations facility. Booting time less than 8 sec. From Power on to recording. Language support English. GUI interface</p> <p>Firmware- Upgradation through USB or internet</p> <p>Software- Availability of raw video files and processed files in most possible formats, multi-screen visualization of output files, accessibility to API and encryption, burn in data, time, device ID, used ID, location, speed, support sorting and playback by</p>

		date, time etc. Date and Time - Synchronise with GPS, internet, PC.
2	Video or Audio	<p>Input-Minimum one channel digital input</p> <p>Out Put- at least 2 inch Full HD LCD (Colour) display</p> <p>Recording Resolution- 2560x1440, 1920x1080</p> <p>Frame rate- Minimum 30 Fps. 60 Fps for 1080p and lower resolution.</p> <p>Recording Mode- Simultaneous video or Audio with synchronization.</p> <p>Compression-H.264/MP4</p> <p>Image- 1920x1080 ~8640x4752 JPEG, Support snapping during recording, Storage in local built in memory</p> <p>Audio Input- 1xMIC optional 2.5 MM jack for headphone, microphone and PTT</p> <p>Audio Compression – PCM format,</p> <p>Audio record-support audio only record</p> <p>Storage –Mini.32 GB Built in</p> <p>Play Speed- 1/128 to 128.</p>
3	Lens, Light and Alarm	<p>Flash light-Use in night with auto trigger</p> <p>Laser- To lock image center or pointing</p> <p>IR-Up to 10 Meters at 0 lux</p> <p>SOS- Key press notification</p> <p>Lens(Hov)- >125° with Auto Focus</p>
4	Network	<p>USB-1xUSB2.0 for charging, communication with PC, connect external HD Camera etc.</p> <p>Bluetooth- Support 4.0</p> <p>Wifi- Support Wifi client and AP mode 802.11b/g/n, 3G/4G- LTE, USB</p> <p>GPS- For location and speed</p> <p>G sensor- Detect sudden fall, running and auto record.</p> <p>Protocol- TCP/IP, RTSP, RTMP, WPS</p>
5	Security	<p>Log-Record key operation, setting change, events, alarms and other information.</p> <p>Edit- User not permitted to delete, edit, over write Video/image/Audio files</p> <p>Pre- Post recording- Maximum 20 Sec.</p> <p>Dewarp- Support dewarp before encoding, support 8x digital zoom</p> <p>Safe mode- Limited only for video and audio recording, photographing or basic operations</p> <p>Encryption- Support AES encryption technology which</p>



		shall be decrypted without a key
6	Battery and Charge	<p>Battery capacity- Built in (at least) 3200/3600mAH battery, support at least 12 hours of continuous recording.</p> <p>Charging- Shall Support fast charging. Full charging time not to be more than 4 Hours</p> <p>Indicator- Charging/idle/video record/ snap/audio</p>
7	General	<p>Temperature -30--60 degree C</p> <p>Humidity 40%~80%</p> <p>Drop test The Device should be tested 2 Meter and shall be certified by NABL Lab as per MIL810 / JS55555 Standard</p> <p>Waterproof IP68</p> <p>Weight < 250gm</p>

➤ Minimum Technical Specifications of Docking Station:

Ports	10
Lock Mode	Buckle
Power Switch	Yes
Power input	100V~240V/ 250W
Power output	Maximum 5V/ 25A
Power for charging	5V/ 2.0A per port
RJ45 port	2x 1000M Port
Maximum Speed	125MBps

➤ Minimum Storage Server (02)

Processor	One or two Intel Xeon Scalable Processor family/AMD Thread ripper CPUs (1st and 2nd generation) with min. to 28 cores per processor
RAM	16 GB DDR4 2933MHz RAM, Scalable upto 512 GB (32 DIMM slots)
HDD(s)	2*4000GB SATA 6.0GB/s 7200 RPM-3.5
RAID	SATA 6Gbps RAID Controller Support RAID level 0, 1 & 10
NIC	2 x Gigabit (10/100/1000Mbps) Ethernet port on board
OS support	Windows Server/linux/Cintos
Peripherals	Standard keyboard and optical mouse
P. supply	Min 650 W Single power Supply



➤ High Performance Workstation (01)

High Performance Workstation (with GPU3080ti and above)	1 x Core i9 9820X X-series / 3.3 GHz, RAM 32 GB, SSD 512 GB, Turbo Drive, RTX 2080 Ti 11G Graphics Card, 11GB 352-bit GDDR6, Hardware Interface PCIE x 16, Graphics Card, Interface PCI-E .
---	---

Warranty- Body Worn Camera-50 नग with Accessories (Docking Station-05 नग, Storage Server-02 नग, High Performance Work Station-01 नग) की वारंटी अवधि इन्स्टॉलेशन की दिनांक से कम से कम 02 वर्ष की होगी।

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षण:-



3. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


अति.महानन्दशक्ति पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैं/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

STRUCTURE OF PORTA HUT



STRUCTURE OF PORTA HUT

